कार्यालय सहायक निदेशक राज्य महिला सदन,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर
रामसिंहपुरा, शिकारपुरा रोड, सेक्टर -35, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज0)

क्रमांक : 224 दिनांक : 30/5/2023

खुली निविदा आमंत्रण सूचना 01/2023–24

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन जयपुर द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अर्न्तगत राज्य महिला सदन, जयपुर में आवासनियों हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा फल एवं सब्जी की आपूर्ति के लिए इच्छुक निविदादाताओं से निम्नानुसार मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती हैं :–

क्र. सं.	कार्य/सामग्री का सक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (राशि रूपयों में)	कार्य की अवधि	बिड सिक्योरिटी (राशि रूपयों में)	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि
1	आवासनियों हेतु फल एवं सब्जी की आपूर्ति	500000	एक वर्ष	10000	दिनांक 07.06.2023 को 2 PM तक	दिनांक 07.06.2023 को 3 PM तक	दिनांक 07.06. 2023 को 4 PM तक

निविदा प्रपत्र रूपये 200/- का ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के पक्ष मे देय डी.डी./ बैकर्स चैक निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर जमा कराने की स्थिति में निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 200/- का ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के पक्ष मे देय डी.डी./बैकर्स चैक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। खुली निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते वेबसाईट htpp:/sppp.rajasthan.gov.in एंव विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(अंजना मानव)
सहायक निदेशक,
राज्य महिला सदन,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

क्रमांक : 225-30 दिनांक : 30/5/2023

प्रतिलिपि **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–**

1. श्रीमान निदेशक महोदय,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. नोटिस बोर्ड राज्य महिला सदन।
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक

D:\Tender 2023-24\Tender fruit and vegetable (Autosaved).docx

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य महिला सदन,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
रामसिंहपुरा, शिकारपुरा रोड, सेक्टर –35, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज0)

तकनीकी निविदा

खुली निविदा 01/2023–24

राज्य महिला सदन जयपुर में दर संविदा पर एक वर्ष के लिए फल एवं सब्जी की आपूर्ति के लिए निविदा

1. निविदादाता का नाम व डाक का पूरा पता... ... ...
दूरभाष नं. एवं मोबाईल नम्बर ... ... ई–मेल... ... ...

2 संदर्भ निविदा विज्ञप्तिः–खुली निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 1/2023–24 क्रमांक .... दिनांक ....

3 अनुमानित लागत :– राशि रू 5.00 लाख

4 निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 200/- का ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के पक्ष मे जारी डी. डी./ बैकर्स चैक संख्या... ... ... दिनांक... ... ... कार्यालय में जमा करा दिये गये हैं/तकनीकी निविदा के साथ संलग्न है।

5 बिड सिक्योरिटी राशि रूपये 10000/- का ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के पक्ष मे जारी डी.डी. /बैकर्स चैक संख्या..दिनांक .... संलग्न है।

6 बोली पात्रता के लिए संलग्न प्रमाण–पत्र/ दस्तावेजों का विवरण :–

क्र. सं.	विवरण	रजि.स.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र				
2	आयकर पैन नम्बर				
3	वस्तु एव सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र				
4	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा जारी लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र				
5	राजकीय विभाग/कार्यालय/संस्थान/उपक्रम/निगम में फल एवं सब्जी आपूर्ति करने के कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतिया संलग्न की जावे।				
6	फर्म/संस्था/कम्पनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षो के चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा जारी टर्न ओवर प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां संलग्न की जावे।				
7	**Acceptance for all terms and conditions Of tender along with ANNEXURE-A,B,C,D,E,F**	स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न की जावे।			

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

7. निविदाए सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर को सम्बोधित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।

8. तकनीकी निविदा के साथ क्रम स. 4, 5 एवं 6 के अर्न्तगत बिन्दु संख्या 1 से 7 तक के वांछित प्रमाण पत्र/दस्तावेजों संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

मै/हमने सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर के द्वारा जारी खुली निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 1/2023–24 क्रमांक ... ... दिनांक ... ... में वर्णित सभी शर्तें एवं निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तो को भली–भांति पढ कर समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। जिसकी सहमति स्वरूप निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय सील

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

निविदा की सामान्य शर्ते

नोट :–निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्ण पालना करनी होगी।

1. निविदादाता को निविदा सूचना, निविदा दस्तावेजों में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं शर्तो के अनुसार सम्बोधित करते हुए मुहरबन्द निविदा "दो कवर प्रणाली" द्वारा प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें प्रथम लिफाफा तकनीकी निविदा का होगा जोकि निविदादाता की तकनीकी योग्यता, निविदा प्रपत्रों के सम्बन्ध में होगा जिसपर **"फल–सब्जी आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा"** अंकित होना चाहिये एवं दूसरा लिफाफा कार्य की दरों के उद्धरण (ANNEXURE-G) से सम्बन्धित होगा जिस पर **"फल–सब्जी आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा"** अंकित होना चाहिये। मूल्य उद्धरण वाला दूसरा वित्तीय प्रस्ताव वाला लिफाफा केवल उन्ही निविदादाताओं का खोला जावेगा जो तकनीकी रूप से योग्य पाये जायेंगे।
2. **(अ) तकनीकी निविदा :– निम्नानुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।**

(1) निविदादाता को विभाग द्वारा जारी खुली निविदा प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की सहमति के रूप में हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।
(2) निविदा प्रपत्र शुल्क – निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर जमा कराने की स्थिति में निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 200/- रूपये का ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के पक्ष मे जारी डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
(3) बोली प्रतिभूति राशि–बिड सिक्योरिटी राशि 10000 रूपये का ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के पक्ष मे जारी डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
(4) निविदादाता को राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(5) GST & PAN CARD- निविदादाता को जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा प्रपत्रों के साथ जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की स्व–हस्ताक्षरित प्रतिलिपि करना आवश्यक है।
(6) FSSAI RESGISTRATION/ LICENSE - निविदादाता द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा जारी लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
(7) निविदादाता को गत सात वर्षों की अवधि में राजकीय विभाग/कार्यालय/संस्थान/उपकम में फल एवं सब्जी आपूर्ति करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
(8) निविदादाता का विगत तीन वित्तीय वर्षो का औसत टर्न ओवर न्यूनतम 5 लाख रूपये होना अनिवार्य हैं। इसके लिए विगत तीन वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22 व 2022–23) के चार्टेड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जावे।
(9) निविदादाता फर्म को निविदा प्रपत्र के ANNEXURE- A से ANNEXURE–D को स्वहस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
(10) निविदाएं सामग्री के वास्तविक व्यापारकर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता/उत्पादनकर्ता द्वारा ही दी जावेगी। इस सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा एस.आर. 11 में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ANNEXURE - E)
(11) निविदादाता फर्म को किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र ANNEXURE -F में प्रस्तुत करना होगा।

(ब) वित्तीय निविदा :–(ANNEXURE-G)
(1) निविदादाताओ द्वारा वित्तीय निविदा ANNEXURE-G में भरकर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
(2) दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखना आवश्यक है। प्रत्येक काट–छांट पर निविदा दाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
(3) निविदा के साथ संलग्न सूची ANNEXURE-G में वर्णित प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मान्य होगी। निविदादाता द्वारा एक से अधिक दरें अंकित करने पर उक्त आइटम की दर न्यूनतम दर को मान लिया जायेगा।
(4) निविदादाता द्वारा फल एवं सब्जी आपूर्ति की दरें राज्य महिला सदन के भण्डार गृह तक पहुंचाने के लिए समस्त करों (जी.एस.टी. एवं अन्य कर) व व्यय सहित प्रस्तुत करनी होगी।
(5) निविदादाता द्वारा दी गई दरें कार्यादेश दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। उक्त अवधि को पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

Email- rajyamahilasadan@gmail.com
Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

3. सदन के लिए फल एवं सब्जी आपूर्ति करने वाले सफल निविदादाता का निर्धारण ANNEXURE-G में निविदादाताओं के द्वारा समस्त आइटम के लिए दी गई दरों के न्यूनतम कुल योग के आधार पर किया जावेगा।
4. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से भरा जावेगा। पेन्सिल से भरी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. विधि मान्यता : निविदायें खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
6. संवेदक अपनी संविदा को या सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या उप भाडे पर (सबलेट) पर नहीं देगा।
7. असफल निविदादाताओं को बिड सिक्योरिटी निविदा स्वीकृत होने की तिथि से एक माह के भीतर वापस कर दी जावेगी।
8. यह दर संविदा सदन में आवासरत आवासनियों के दोनों समय के भोजन एव नाश्ते मे प्रयुक्त होने वाले फल एवं सब्जी की आपूर्ति के लिए आमंत्रित की गई है।
9. कार्यालय सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर द्वारा निविदादाता को साप्ताहिक मांग पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा। फल एव सब्जी की आपूर्ति मांग पत्र के अनुसार दैनिक/दिये गये आदेशानुसार की जायेगी।
10. फल तथा सब्जी की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। फल एवं सब्जी मे रासायनिक/कीटनाशक स्वीकृत मात्रा से अधिक पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
11. फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा। आपूर्ति प्राप्त होने पर उक्त समिति द्वारा निविदादाता/उसके प्रतिनिधि के समक्ष फल एवं सब्जी का निरीक्षण किया जायेगा। फल एवं सब्जी अच्छी गुणवता की नही होने पर स्वीकार नही की जाएगी। अस्वीकृत माल को निविदादाता को स्वयं के व्यय पर निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से बदलना होगा।
12. फल एवं सब्जी संस्था में तौल कर सुपुर्द करनी होगी।
13. सब्जियों तथा फलों की आपूर्ति हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा। आदेशित फल एवं सब्जी बाजार में उपलब्ध नही होने पर निविदादाता के पत्र पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के इस सम्बन्ध में पूर्ण सन्तुष्ट होने पर ही अन्य फल सब्जी का आदेश दिया जाएगा।
14. फल एवं सब्जी सड़े-गले होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी एवं ताजा फल व सब्जी ही स्वीकार की जायेगी।
15. सामग्री की आपूर्ति समय पर नही करने पर सहायक निदेशक राज्य महिला सदन को अधिकार होगा कि वह उक्त सामग्री बाजार में मंगवा ले और उसमें हुए अतिरिक्त व्यय को ठेकेदार के विचाराधीन बिल या प्रतिभूति राशि या अन्य तरीके से वसूल कर लेवें।
16. खुली निविदा सदन में 100 आवासनियों के लिए फल एवं सब्जी की आपूर्ति के लिए आमंत्रित की गई है। सदन में आवासनियों की संख्या में कमी/वृद्धि होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार फल एवं सब्जी आपूर्ति के लिए मात्रा के सम्बन्ध में समस्त अधिकार सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर को होगा। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है अथवा अनुबन्धित अवधि में अनुमानित लागत से कम अथवा अधिक क्रय करता है तो इस सम्बन्ध मे निविदादाता को होने वाले अतिरिक्त व्यय/हानि के सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी द्वारा कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. दर संविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(जे.) के अनुसार **"दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने"** के खण्ड के अध्यधीन होगी।
18. कार्य संपादन प्रतिभूति एवं करार :-
    1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप मे एक करार 500/- रू. के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा।
    2. सफल निविदादाता कार्यादेश मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति डी.डी/बैकर्स चैक/एफ.डी.आर के रूप में जमा करानी होगी, जो कि ASSTT. DIRECTOR MAHILA SADAN JAIPUR के नाम से देय होगी। यह करार एवं प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जब निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, के सात दिवस के भीतर जमा कराई जायेगी।
    3. निविदा के समय जमा कराई गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जावेगा।
    4. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
    5. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

19. बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलो मे समपहरण कर लिया जायेगाः–

1. जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है उसमे उपान्तरण करता है।
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता हो।
3. जब निविदादाता कार्यादेश देने के बाद कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।
4. जब निविदादाता विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने मे असफल रहता हो।

20. कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों मे समपहत कर लिया जायेगा।

1. जब निविदादाता द्वारा निविदा/अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
2. जब निविदादाता सम्पूर्णकार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल रहा हो।
3. प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सबंध मे क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21. भुगतान :– बिल की राशि का भुगतान दिये गये आदेश के अनुसार पूर्ण एवं संतोषजनक स्थिति में सामग्री प्राप्त होने पर किया जावेगा। देय राशि में से प्रचलित नियमों के अनुसार कटौति कर भुगतान किया जायेगा।

22. बिडदाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में सामान की सुपुर्दगी यथा–स्थान पर करेगा। छोटे–छोटे भागों में आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि ठेकेदार भागों में सप्लाई करता है या विलम्ब से करता है तो उस पर एक क्रयादेश की आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति नहीं की गई सामग्री के मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक निम्नानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी :–

अ	निर्धारित अवधि से एक घंटा विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
ब	निर्धारित अवधि से दो घंटे विलम्ब के लिए	5 प्रतिशत
स	निर्धारित अवधि से तीन घंटे विलम्ब के लिए	7.5 प्रतिशत
द	निर्धारित अवधि से चार घंटे से ज्यादा विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत

23. निविदादाता द्वारा मांग पत्र के अनुसार फल एवं सब्जी की आपूर्ति नहीं कर, अन्य फल एवं सब्जी की आपूर्ति करने एवं कार्यालय द्वारा स्वीकार करने पर मांग एवं आपूर्ति की गई सामग्री में से न्यूनतम दर की सामग्री का भुगतान किया जायेगा व मांगपत्र के अनुसार आपूर्ति नहीं किये गये फल व सब्जी के वजन के आधार पर 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निविदादाता से पैनल्टी वसूल की जायेगी।

24. वसूलियां :–
परिसमापति नुकसानी, घटिया किस्म की प्रदाय, टूट–फूट, रदद की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में से की जावेगी।
कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा सप्लायर सन्तोषजनक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाता है तो परिसमापति नुकसानी के साथ वसूली उसके देय राशि क्लेमस एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति में से की जावेगी।

25. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है निविदा मे वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध मे है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप मे कार्यवाही कर रदद कर दिया जायेगा।

26. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यकरूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने ,बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यो के लिये निविदा दाता ने निविदा दी है,उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

27. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–
(अ)यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
(ब)यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या व उसका वर्ष सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति ।
(स) एकमात्र स्वामित्व के मामले मे आवास एवं कार्यालय का पता एवं टेलीफोन नम्बर ।
(द) कम्पनी के मामले मे कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र ।

28. एक बार करार हो जाने पर सफल निविदादाता को अनुबन्धित अवधि तक अनुमोदित दरों पर फल एवं सब्जी की आपूर्ति करनी होगी, चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थिति ही उत्पन्न क्यों न जो जाए। यदि किसी वस्तु पर नियंत्रध है या हो

Scanned with CamScanner

जाय और उसके लिए सरकार से अनुमोदित पत्र की जरूरत हो तो विभाग इस हेतु ठेकेदार की सहायता करने का प्रयत्न करेगा। इस स्थिति मे भुगतान अनुमोदित टेण्डर दरो अथवा नियंत्रित दरो दोनो मे से जो भी कम होगी, उसी के अनुसार किया जावेगा।

29- निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने पर 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा। अनुबन्ध की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद को निर्णित करने के सम्बन्ध में सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

30- यदि सविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण को पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो इस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में अपने उप वरिष्ठतम अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप–अधिकारी निविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

31. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जयपुर मे स्थित न्यायालय मे ही पेश किया जायेगा ।

32- अनुबंध अवधि के दौरान यदि ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति अथवा नियम लागू होते है जिनका उपाबन्ध दर अनुबन्ध की शर्तो में नहीं है तो उनका निराकरण सामान्य वितीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों/नियमों के द्वारा विनियमित होंगे।

मैने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 32 तक को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है । हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता एवं नाम

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any, and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one bid; or

(f) The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date :-
Place:-

Signature of Bidder:
Name :
Designation:
Address :

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-B

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर

Declaration by the Bidder regarding qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to Asst. Director, mahila sadan, Social justice Empowerment Department, jaipur for procurement of ARC for supply of fruits and vegetables in response to their Notice Inviting Bids No……………… dated ……………………I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our processional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place:

Signature of bidder :

Name:

Designation :

Address:

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-C

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागजयपुर

Grievance Redress during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is: -Director, Social Justice And Empowerment Department Rajasthan Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is: Secretary, Social Justice And Empowerment Department Rajasthan Jaipur

1. Filing an appeal :

   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in ontravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in the procurement proceedings:

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2) or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. Appeal not to lie in certain cases

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

   a. Determination of need of procurement;
   b. Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
   c. The decision of whether or not to enter into negotiations ;
   d. Cancellation of a procurement process;
   e. Applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

   a. An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along-with as many copies as there are respondents in the appeal;
   b. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
   c. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

6. Fee for filing appeal
   a. Fee for the first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
   b. The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers' cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
7. Procedure for disposal of appeal
   a. The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
   b. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority , as the case may be, shall –
      i. Hear all the parties to appeal present before him; and
      ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
   c. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
   d. The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement portal.

Date :

Place:

Signature of bidder :

Name:

Designation :

Address:

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

(i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of sub totals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity in the Bidding Document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of goods):

(ii) As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

Date : Signature of bidder :

Place: Name:

Designation :

Address:

Email- raiyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-E

एस.आर. 11

निविदादाता का घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने जिन मालों /सामानों /उपकरणों के लिए निविदा दी है उनका /उनके मैं/हम वास्तविक व्यापारकर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता/उत्पादनकर्ता हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

Date :

Place:

Signature of bidder :

Name:

Address:

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner

निविदादाता का घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा फल एवं सब्जी आपूर्ति कार्य जहाँ कही भी किया है, उस कार्य विगत तीन वर्षों में समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह घोषणा करते है कि मेरे/हमारे विरूद्व किसी भी न्यायालय में फल एवं सब्जी आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई भी वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

Date :

Place:

Signature of bidder :

Name:

Address:

Scanned with CamScanner

(ANNEXURE - G)

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य महिला सदन,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
रामसिंहपुरा, शिकारपुरा रोड, सेक्टर –35, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज0)

विषयः– राज्य महिला सदन जयपुर में दर संविदा पर एक वर्ष के लिए फल एवं सब्जी की आपूर्ति के लिए निविदा

1 निविदादाता का नाम व डाक का पूरा पता... ... ...
... ...
दूरभाष नं.... ... ... ईमेल ... ...

2 संदर्भ निविदा विज्ञप्ति– खुली निविदा आमंत्रण सूचना 01/2023–24 क्रमांक .... दिनांक ....

3 फल एवं सब्जी आपूर्ति के लिए हमारी दरें (समस्त करों एवं व्यय सहित) निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	फल/सब्जी का नाम	दर प्रति किलो (राशि रुपयों में)	
		(अंको मे)	(शब्दों में)
1	मौसम के अनुसार विभिन्न सब्जियां		
2	आलू (सम्पूर्ण वर्ष)		
3	प्याज (सम्पूर्ण वर्ष)		
4	टमाटर (सम्पूर्ण वर्ष)		
5	लहसुन (सम्पूर्ण वर्ष)		
6	हरा धनिया (सम्पूर्ण वर्ष)		
7	हरी मिर्च (सम्पूर्ण वर्ष)		
8	केला (सम्पूर्ण वर्ष)		
9	सेब (मौसम के अनुसार)		
10	अमरूद (मौसम के अनुसार)		
11	मौसमी/संतरा (मौसम के अनुसार)		
12	पपीता (मौसम के अनुसार)		
13	आम (मौसम के अनुसार)		
14	चीकू (मौसम के अनुसार)		
15	अंगूर (मौसम के अनुसार)		
16	तरबूज/खरबूजा (मौसम के अनुसार)		
17	नाशपाती (मौसम के अनुसार)		
18	मौसम के अनुसार अन्य फल		
कुल योग			

नोट : सभी आईटम की दरें अंकित करना अनिवार्य है।

मै/हम सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर के द्वारा जारी खुली निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 1/2023–24 क्रमांक ... ... दिनांक ... ... में वर्णित सभी शर्तें एवं निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तों के अनुसार फल एवं सब्जी की आपूर्ति उक्त दरों पर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Date :

Place:

Signature of bidder :

Name:

Address:

D:\Tender 2023-24\Tender fruit and vegetable (Autosaved).docx

Email- rajyamahilasadan@gmail.com

Phone – 0141-2732486

Scanned with CamScanner